

कार्यालय

संख्या 6349 / ई-डिस्ट्रिक्ट-गा0बाद / 2014

जिलाधिकारी

गाजियाबाद ।

दिनांक 17 जुलाई, 2014

“कार्यालय ज्ञाप”

विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 710/78-2-2014-53आई0टी0/2008 दिनांक 02-7-2014 (छायाप्रति पुस्त पर) में प्री-प्रिन्टेड स्टेशनरी पर सेवाओं/प्रमाण पत्रों के मुद्रण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि जन सामान्य को प्रदान किये जाने वाली सेवाओं/प्रमाण पत्रों को सादे ए-4 साईज पेपर पर ही मुद्रित कर उपलब्ध कराया जाए। प्रमाण पत्र पर प्रमाण पत्र क्रमांक तथा आवेदन क्रमांक में से केवल प्रमाण पत्र क्रमांक अंकित किया जाये तथा प्रमाण पत्र का सत्यापन भी प्रमाण पत्र क्रमांक से किया जाये। प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट रूप से मुद्रित की जाये तथा पोर्टल पर बल्क वेरीफिकेशन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाए।

उक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

हं/-

(विमल कुमार शर्मा)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
- 3- नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद।
- 4- अपर जिलाधिकारी (प्र0)/नोडल अधिकारी, ई-डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद।
- 5- अपर जिलाधिकारी (नगर)/(वि0/रा0), गाजियाबाद।
- 6- जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
- 7- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।
- 8- उप जिलाधिकारी (सदर/मोदीनगर/लोनी)।
- 9- जिला पूर्ति अधिकारी, गाजियाबाद।
- 10- जिला समाज कल्याण अधिकारी/विकलांग कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद।
- 11- जिला सेवायोजन अधिकारी/प्रोबेशन अधिकारी, गाजियाबाद/जिला पंचायत राज अधिकारी, गा0बाद।
- 12- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गाजियाबाद।
- 13- तहसीलदार, (सदर/लोनी/मोदीनगर)
- 14- समस्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
- 15- प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय), कलेक्ट्रेट गाजियाबाद।
- 16- श्री राजन, जिला प्रबन्धक, मै0 वयम टेक्नोलोजीज प्रा0लि0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार समस्त जन सेवा केन्द्र संचालकों को इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश निर्गत करें, एवं जन सेवा केन्द्र के बाहर इस बाबत सूचना चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
- 17- जन सुविधा केन्द्र संचालक, कलेक्ट्रेट गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि तत्काल दिये गये निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करायें, एवं केन्द्र के बाहर सूचना चस्पा करायें।
- 18- समस्त लोकवाणी केन्द्र संचालकों को इस निर्देश के साथ कि तत्काल दिये गये निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करायें, एवं केन्द्र के बाहर सूचना चस्पा करायें।
- 19- सहायक निदेशक, सूचना गाजियाबाद को निःशुल्क प्रचार प्रसार हेतु।

हं/-

(विमल कुमार शर्मा)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

S.P.615099073/77/14

संख्या-70/78-2-2014-53आई.टी./2008 नीरज

A. B. M. K. / 0000 / E. Dish. Acct.

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,

विशेष सचिव,

उ.प्र. शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

गुजियाबाद/सुल्तानपुर/ रायबरेली/ गोरखपुर/ सीतापुर/ गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

कृपया नियमानुसार आवश्यक
कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
गुजियाबाद

नीरज

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2

लखनऊ: जून 2014

02 जून 2014

विषय: प्री-प्रिन्टेड स्टेशनरी पर प्रमाणपत्र मुद्रित करने के स्थान पर सादे ए-4 साईज पेपर पर ही प्रमाण पत्र मुद्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

एस.एस.डी.जी./ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत दिभिन्न शासकीय सेवायें जनसामान्य को जनसेवा/जन-सुविधा/लोकवाणी/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं।

2. वर्तमान में कतिपय जनपदों में योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं/प्रमाणपत्रों के मुद्रण हेतु प्री-प्रिन्टेड स्टेशनरी का उपयोग किया जा रहा है।

3. प्री-प्रिन्टेड स्टेशनरी पर सेवाओं/प्रमाणपत्रों के मुद्रण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि जन-सामान्य को प्रदान किये जाने वाले सेवाओं/प्रमाणपत्रों को सादे ए-4 साईज पेपर पर ही मुद्रित कर उपलब्ध कराया जाये। प्रमाणपत्र पर प्रमाणपत्र क्रमांक तथा आवेदन क्रमांक में से केवल प्रमाणपत्र क्रमांक अंकित किया जाये तथा प्रमाणपत्र का सत्यापन भी प्रमाणपत्र क्रमांक से किया जाये। प्रमाणपत्र के सत्यापन हेतु आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट रूप से मुद्रित की जाये तथा पोर्टल पर बल्क वेरीफिकेशन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाये।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)

विशेष सचिव।

संख्या: (1)/78-2-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान विल्डिंग लखनऊ।
2. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
3. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग।
5. गार्ड फत्रावली।

आज्ञा से,

(जी0एस0 नवीन कुमार)

विशेष सचिव।